



दिनांक - 23.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 NBW वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा 03 NBW वारण्टी अभियुक्तगण 1. जसपाल उर्फ काकू पुत्र सुन्दर सिंह नि0 3/7456 निकट प्राइमरी स्कूल बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर, 2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर नि0 3/1941 बेरीबाग रणजीत नगर निकट सुधीर की आटा चक्की थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर व 3. गुरमित सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 उपरोक्त उम्र- 35 वर्ष चालानी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0- 8710/24 धारा 406/323/504/506/324 भादवि चालानी अन्तर्गत थाना जनकपुरी में थाना क्षेत्र जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. जसपाल उर्फ काकू पुत्र सुन्दर सिंह नि0 3/7456 निकट प्राइमरी स्कूल बेरीबाग थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर नि0 3/1941 बेरीबाग रणजीत नगर निकट सुधीर की आटा चक्की थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर।
3. गुरमित सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 3/1941 बेरीबाग रणजीत नगर निकट सुधीर की आटा चक्की थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सोम थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 87 पंकज थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2552 विकास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. का0 2364 अनिल थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 23.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10.50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.10.2024 को **अभियुक्त भूरा पुत्र असगर निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को चैकिंग के दौरान के ईदगाह मिर्जापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10.50 ग्राम अवैध स्मैक बरामदगी हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभि0 भूरा उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 182/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ तथा शराब एव स्मैक के नशे का आदी हूँ अपने नशे की जरूरतो तथा अन्य शौक पूरा करने के लिए मैं हरियाणा राज्य से सस्ते दामो में स्मैक खरीदकर लाता हूँ तथा अपने आस-पास के क्षेत्र में रास्ते पर ट्रक चालको को महगे दामो में बेचकर काफी धन कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

भूरा पुत्र असगर निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 242/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 10.50 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 214 उदित मलिक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 23.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा नशा तस्करी के मामले में वांछित शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त इस्तकार उर्फ इस्तखार पुत्र अकबर नि0 मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर को सम्बन्धित मु0अ0स0 28/24 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर में ग्राम मिर्जापुर पोल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ तथा मजदूरी का काम करता हूँ। पैसे की तगगी चल रही है। इसीलिए कभी-कभी विकासनगर से सस्ते दामो में स्मैक खरीदकर लाता हूँ तथा आस-पास के क्षेत्र में राह चलते लोगों अधिक दामों को बेच देता हूँ जिससे मुझे काभी लाभ हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इस्तकार उर्फ इस्तखार पुत्र अकबर निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 214 उदित मलिक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक- 23.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 240 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें सलिस अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आद दिनांक 23.10.2024 को फतेहपुर पुलिस द्वारा गश्त एवं चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त **अब्दुल मालिक पुत्र कादिर निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम रसूलपुर कला मैन रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 240 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बारमदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 202/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा अपना खर्च व शौक पूरा करने के लिए मैं उत्तराखण्ड से सस्ते दामों में चरस खरीदकर लाता हूँ तथा अपने आस-पास के क्षेत्र में ट्रक चालको को महंगे दामों में बेचकर काभी लाभ कमा लेता हूँ जिससे मेरे शौक पूरे हो जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल मालिक पुत्र कादिर निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 240 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. म0का0 1072 रेनू रानी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 23.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र नथलूराम निवासी गांव जमालपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा गोविन्द विहार से वादी की मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला नीली पट्टी रजि0नं0 UP 11 AM 2594 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 269/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त खालिक पुत्र बुन्दु हसन निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को एसबीडी चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP 11 AM 2594 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317/(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

खालिक पुत्र बुन्दु हसन निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0कां0 103 राजेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारण्टी/एनबीडब्लू अभियुक्त **शहजाद पुत्र अय्यूब निवासी बगरैन थाना बजीरगंज जिला बदायू हाल निवासी कुटीर रोड कस्वा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित एसटी न0 11/2015 मु0अ0सं0 557/2014 धारा 302 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 – 3 सहारनपुर द्वारा निर्गत नियत दि0 29.10.2024 चालानी थाना देवबन्द मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में ग्राम बगरैन मौहल्ला पछाव थाना बजीरगंज जिला बदायू से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहजाद पुत्र अय्यूब निवासी बगरैन थाना बजीरगंज जिला बदायू हाल निवासी कुटीर रोड कस्वा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- हे0का0 698 सन्दीप भाटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- हे0का0 902 गोविन्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 4- का0 16 पवन थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक:- 11.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मात्र 02 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी गया माल सफेद/पीली धातु के आभूषण बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री राकेश वर्मा पुत्र स्व मूलचन्द वर्मा निवासी कम्बोह कटहरा दर्जियो वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सागर वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा निवासी दर्जियो वाली गली कम्बोह कटहरा थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी के घर की अलमारी खोलकर सोने व चाँदी का सामान जिसमे 5 जोडी चाँदी की पाजेब, चाँदी का हाथ की पोची, 2 सोने की कान की बाली, 2 चाँदी की अंगूठी, 4 अंगूठिया, सोने के गले का लाकेट एव 2500/- नकद चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक मण्डी को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 शातिर नकबजन/अभियुक्त सागर वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा निवासी दर्जियो वाली गली कम्बोह कटहरा थाना मण्डी सहारनपुर को दर्जियो वाली गली कम्बोह कटहरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गये सफेद/पीली धातु के आभूषण (तीन जोडी पाजेब सफेद धातु, एक जोडी हथफुल सफेद धातु, व सफेद बटुआ में एक अंगूठी पीली धातु, एक झुमकी पीली धातु, एक कुंडल पीली धातु, एक गले का लॉकेट अधूरा पीली धातु, एख लॉकेट शिवजी पीली धातु) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने पैसों के लालच में राकेश वर्मा के मकान में घुसकर अलमारी से रखे सोने व चाँदी के जेवर चोरी कर लिए थे और अपने घर में बेड में रख दिये थे और पैसों से मैंने अपनी उधारी चुका दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा निवासी दर्जियो वाली गली कम्बोह कटहरा थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 03 जोडी पाजेब सफेद धातु, 03 जोडी हथफुल सफेद धातु
- 01 अंगूठी पीली धातु, 01 झुमकी पीली धातु, 01 कुंडल पीली धातु, 01 गले का लॉकेट अधूरा पीली धातु, 01 लॉकेट शिवजी पीली धातु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह अत्री थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक - 23.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा फर्जी बैनामा कर धोखाधड़ी से पैसे हडपने वाली 01 वांछित

अभियुक्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2024 को वादी प्रीतम कुमार जैन पुत्र श्री त्रिलोक चन्द जैन निवासी 5/4265ए मो0 अमरदीप कॉलोनी, जनता रोड़, थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सुमन शर्मा पत्नी स्व० दीपक शर्मा निवासी मकान न०- ए/20 नुमाईश कैम्प गोपाल नगर, जिला सहारनपुर हाल निवासी गली न0-1 अमरदीप कॉलोनी, फ्लैट न0-2 न्यू अमरदीप कॉलोनी जिला सहारनपुर 2.नीरज शर्मा पुत्र स्व० श्री दीपक शर्मा निवासी उपरोक्त । 3.सूरज शर्मा पुत्र स्व० श्री दीपक शर्मा निवासी उपरोक्त । 4.तानिया पत्नी राजीव कॉम्बोज निवासी विष्णु मन्दिर वाली गली न्यू माधोनगर जिला सहारनपुर के द्वारा वादी से धोखा-धडी करके जमीन बेचने के नाम पर 12 लाख रूपये लेकर फर्जी बैनामा करना एवं वादी के घर में घुसकर चोरी करना एवं रूपये मांगने पर वादी के साथ गाली-गलौच करने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-196/24 धारा 420/379/504/506 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.10.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्ता सुमन शर्मा पत्नी स्व० दीपक शर्मा निवासी मकान न०- ए/20 नुमाईश कैम्प गोपाल नगर, जिला सहारनपुर हाल निवासी गली न0-1 अमरदीप कॉलोनी, फ्लैट न0-2 न्यू अमरदीप कॉलोनी जिला सहारनपुर को श्याम नगर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर में किराये के मकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

सुमन शर्मा पत्नी स्व० दीपक शर्मा निवासी मकान न०- ए/20 नुमाईश कैम्प गोपाल नगर, जिला सहारनपुर हाल निवासी गली न0-1 अमरदीप कॉलोनी, फ्लैट न0-2 न्यू अमरदीप कॉलोनी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सुमन चाहर थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. म0का0 1378 तनु शर्मा थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. म0का0 845 ममता थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. है0का0 50 विशाल मलिक थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शांति भंग करने वाले 16 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी/शांति भंग करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा शांति भंग करने वाले 16 अभियुक्तगण प्रथम पक्ष के 1. आबिद पुत्र सलीम 2. इन्तजार पुत्र फुरकान 3. जमशेद पुत्र हनीफ 4. सावेज पुत्र जमशेद 5. भूरा पुत्र यासीन 6. अबरार पुत्र इस्लाम समस्त निवासीगण ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व दितीय पक्ष के 1. इरफान पुत्र बशीर 2. जीशान पुत्र मजाहिर हसन 3. बबलू उर्फ इन्तजार हसन पुत्र मजाहिर हसन 4. जाकिर हुसैन पुत्र मुजाहिर हसन 5. मुस्तकीम पुत्र सलीम 6. शहीद अहमद पुत्र बरकत 7. असलम पुत्र बंदा हसन 8. जुल्फान पुत्र मंजूर हसन 9. लालू पुत्र जफर 10. मांगा पुत्र बशीर अहमद समस्त निवासीगण मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी0एन0एस0एस0 में मौहल्ला ईस्लामइलपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आबिद पुत्र सलीम निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. इन्तजार पुत्र फुरकान निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. जमशेद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. सावेज पुत्र जमशेद निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. भूरा पुत्र यासीन निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. अबरार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. इरफान पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. जीशान पुत्र मजाहिर हसन निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
9. बबलू उर्फ इन्तजार हसन पुत्र मजाहिर हसन निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
10. जाकिर हुसैन पुत्र मुजाहिर हसन निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
11. मुस्तकीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
12. शहीद अहमद पुत्र बरकत निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
13. असलम पुत्र बंदा हसन निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
14. जुल्फान पुत्र मंजूर हसन निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

15. लालू पुत्र जफर निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
16. मांगा पुत्र बशीर अहमद निवासी मौहल्ला ईस्लामइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.10.2024 को वादी फरमान पुत्र अनवार निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.ताहिर पुत्र फकरु 2.साबिर पुत्र ताहिर 3.माहिर पुत्र जाहिद 4.जाबिर पुत्र जाहिद 5.शमीम पुत्र जाहिद 6.कादिर पुत्र जाहिद 7.नादिर पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के परिवार के लोगो पर घातक हथियारो से लैस होकर जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0-415/2024 धारा 109,191(2),191(3),351(3) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण 1. शमीम पुत्र जाहिद 2.कादिर पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को बडगांव तिराहे से चकवाली जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 190 बी0एन0एस0 की बृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण शमीम पुत्र जाहिद व कादिर पुत्र जाहिद द्वारा एक राय होकर बताया गया कि गांव में बालीबाल खेलने को लेकर आपस में कहासुनी हो गयी थी इसी बात को लेकर हमने गुरसे में आकर इरशाद आदि के साथ हथियारों से मारपीट कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शमीम पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. कादिर पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक 23-10-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14, सहारनपुर द्वारा नाबालिग से कुकर्म के मामलें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी **सजा** -

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.05.2018 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र बलजीत निवासी ग्राम जजनैर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ अप्रकृतिक सम्भोग करने की सूचना के आधार पर मु0अ0स0-77/2018 धारा 377 भादवि व 3/4 पोक्सों अधि0 में थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 81/18 पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयास के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 23.10.2024 को चन्द्रपाल पुत्र बलजीत को मु0अ0स0 77/2018 धारा 377 भादवि व 5/6 पोक्सों अधि0 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 40 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती शहजाद खान
विवेचक निरीक्षक श्री संजीव कुमार यादव
पैरोकार का0 378 बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 23 - 10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के मु0अ0सं0 103/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी/506 भादवि में वांछित एक अभि0 सौरभ चौहान पुत्र रुप सिंह नि0 ग्राम बिजलपुर थाना मुलाना जनपद अम्बाला (हरियाणा) को इसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौरभ चौहान पुत्र रुप सिंह नि0 ग्राम बिजलपुर थाना मुलाना जनपद अम्बाला (हरियाणा)।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0- 007/2024 धारा 323/406/420/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 609 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2225 रंगेश चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. का0 1460 अंकित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
5. म0का0 974 दीपाक्षी चौहान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.10.2024 को चैकिंग के दौरान नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त आशू उर्फ राघव पुत्र शिवकुमार नि0 मौ0 हकीमाल कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली को ग्राम जैदपुरा वाले रास्ते पर टंकी के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे एक नाजायज चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो में भय व्याप्त करने के लिए अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

आशू उर्फ राघव पुत्र शिवकुमार नि0 मौ0 हकीमाल कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 729 उपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर